

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 270/2013/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स गुप्ता ऑयरन स्टोर, स्टेशन रोड, अलवर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,  
उप-राजकीय अभिभाषक ।  
श्री रामकरण सिंह,  
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :07.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या-118/आर.वैट/20011-12/उपा/अपील्स/अलवर के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत शास्ति रु.1,87,800/- व कर रु.31,300/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.11.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-अलवर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वाहन संख्या एच.आर. 39ए 7028 को अग्रसेन सर्किल अलवर, में जांच हेतु रोका गया। वाहन में परिवहनीत माल "एम.एस. गार्डर) जो कि हरियाणा से झझर-बिलासपुर-भिवाड़ी होकर अलवर के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक श्री वीरेन्द्र सिंह ने मैसर्स प्रियंका ट्रेडिंग कम्पनी, भादरा द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी इन्वॉयक क्रमांक-78 दिनांक 01.11.2011, जिसमें 16.470 एम.टी., एम.एम. गार्डर, कीमतन रु.6,25,860/-, 5 प्रतिशत वैट रु.31,293/- कुल कीमतन रु.6,57,153/- अंकित, मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, भादरा द्वारा जारी बिल्टी संख्या-1953 दिनांक 01.11.2011 जो कि भादरा से अलवर के लिये बनी हुयी थी, वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये।

प्रस्तुत दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज वाहन चालक द्वारा पेश नहीं किये गये। तत्पश्चात्, सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में रखे हुये दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स जीत कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा इण्डस्ट्रियल एरिया, हिसार की वाहन के संबंध में तोल की हुयी कांटा पर्ची संख्या 538 एवं 599 दिनांक 01.11.2011 व एक लूज पर्ची दिनांक 29.10.2011 की प्रस्तुत की गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विरोधाभासी पाये जाने पर अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत वाहन को मय माल निरुद्ध "Detain" कर, वाहन चालक श्री वीरेन्द्र सिंह के बयान कलमबद्ध किये गये तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन हेतु वाहन चालक को निर्देशित किया गया। कुछ समय पश्चात् वाहन चालक व माल प्रभारी श्री वीरेन्द्र ने उपस्थित होकर प्रकट किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रेषक फर्म सत्यापन करवाने में असमर्थ है।

सक्षम अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि परिवहनीत माल अधिसूचित करयोग्य माल (एम.एस. गर्डर) हिसार (हरियाणा) से अलवर के लिये परिवहनीत किया जा रहा है। अतः सक्षम अधिकारी ने यह अवधारित किया कि वक्त जांच प्रस्तुत इन्चायस क्रमांक 78 दिनांक 01.11.2011 मिथ्या रूप से तैयार कर, मिथ्या घोषणा कर, परिवहनीत अधिसूचित करयोग्य माल के दस्तोवजों के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता से बचने के लिए मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर करापवंचन किये जाने का प्रयास किया गया है, जो अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपटित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होना अवधारित कर, बनाये गये अभियोग प्रकरण को सक्षम अधिकारी आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 432 दिनांक 31.03.2011 की पालना में पत्रावली अपीलार्थी को प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत, शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रु.1,87,800/- व कर रु.31,300/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल 16470 एम.टी एम.एस. गर्डर कीमतन रु.6,25,860/- प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारी मैसर्स प्रियंका ट्रेडिंग कम्पनी, भादरा से जरिये वैट इन्वॉइस नं.-78 दिनांक 01.11.2011 के द्वारा क्रया किया जिसे मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, भादरा की जी.आर. नं.-1953 दिनांक 01.11.2011 के द्वारा भादरा से अलवर के लिए परिवहनित किया जा रहा था । कथन किया कि आयातित माल के साथ वक्त जाँच सभी आवश्यक दस्तावेज यथा-बिल-बिल्टी मौजूद थे, जिन्हें वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये थे। अतः प्रत्यर्थी द्वारा माल का परिवहन विधिक दस्तावेजों से किया जा रहा था। विशिष्ट रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया था जिसके लिये अधिनियम के प्रावधानानुसार माल परिवहन के दौरान माल के दस्तावेजों के साथ विधिक घोषणा-पत्र वैट-47 की आवश्यकता नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि यह पूर्ण रूप से निराधार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विधिक घोषणा प्ररूप वैट-47 की आवश्यकता से बचने के लिए करापवंचन की मंशा से असत्य एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर, विवादित माल का परिवहन किया गया है जबकि इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के उक्त काल्पनिक आधार पर बनाकर शास्ति आरोपित की गयी है। विद्वान अभिभाष ने यह भी कथन किया कि वक्त जांच सक्षम अधिकारी के समक्ष वाहन चालक द्वारा दिये गये बयानों से भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि परिवहनित माल का लदान हिसार से किया गया है। जबकि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जाँच प्रस्तुत बिल-बिल्टी से यही प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी



व्यवहारी द्वारा उक्त विवादित माल राज्य के पंजीकृत व्यवहारी मैसर्स प्रियंका ट्रेडिंग कम्पनी, भादरा से कय गया है, जिस पर नियमानुसार वैट भी चुकाया गया है तथा माल का परिवहन सम्पूर्ण विधिक दस्तावेजों से किया जा रहा है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल पर देय कर चुका दिया गया था अतः करापवंचन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशिष्ट रूप से पुनः कथन किया कि संव्यवहार राज्य के पंजीकृत दो व्यवहारियों के मध्य सम्पादित होने के कारण विधिक प्रावधानानुसार दस्तावेजों के साथ घोषणा-पत्र वैट-47 को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः आरोपित शास्ति व कर अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपास्त किया गया है। जहां तक उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धारित माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 का प्रश्न है, कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन कर विधि के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण में निर्णय के लिये अधिनियम की धारा 76(2) के सम्पूर्ण प्रावधानों का अध्ययन करना समीचीन है। धारा 76(2) का मूल पाठ इस प्रकार है:-

धारा 76(2).- The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

- (a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);
- (b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;
- (c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;

- (d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and
- (e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

**Explanation.**— For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean –

- (i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
- (ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and
- (iii) the goods which are being carried by a person.

अधिनियम की धारा 76(6) का मूल पठन इस प्रकार है:—

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. –

- (1).....
- (2).....
- (3).....
- (4).....
- (5).....


(6) The Incharge of the check-post or barrier or "*the officer authorized*" under sub-section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorized in writing by such owner or person Incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of "*clause (b) of sub-section (2)*" or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से यह विदित होता है कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानानुसार धारा 76(2)(बी) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरण में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में इन परिस्थितियों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है बल्कि अपीलार्थी सशक्त

अपील संख्या - 270/2013/अलवर

अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों की बिना जांच किये ही असत्यापित मान कर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(सी)(डी) के तहत विहित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रेषक व प्रेषिति राज्य में पंजीकृत थे, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के प्रस्तुत दस्तावेज को मिथ्या व कूटरचित होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से अपास्त किया गया है। अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
7.8.2017  
( मदन लाल )

सदस्य